फा. सं. 3–1(18)/2021–विद्युत
अंडमान तथा निकोबार प्रषासन
सचिवालय
पोर्ट ब्लेयर दिनांक 5th जनवरी, 2022

रिक्ता सूचना

संयुक्त विद्युत नियामक (उपभोक्ताओं के षिकायतों के निवारण, हेतु फोरम की स्थापना)विनियम, 2009 और इसके संषोधन विनियम, 2013 और 2019 के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं के षिकायतों के निवारण हेतु फोरम से अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आवेदन का आमंत्रण ।

अंडमान तथा निकोबार प्रषासन,उक्त विनियम के अधीन इस संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं के षिकयतों के निपटान हेतु स्थापित किए जाने वाले फोरम में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करते है।

योग्यताएंः अध्यक्षः फोरम के अध्यक्ष को विधिक/न्यायिक व्यवसाय में कम से कम 20 वर्षो के अनुभव के साथ एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीष/अपर न्यायाधीष या एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी या एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक जिसका रैंक एक जिलाधिकारी से कम का न हो, होना चाहिए ।

या

वह किसी राज्य/केन्द्रीय विद्युत सेक्टर विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विद्युत सेक्टर के स्वायत्त निकायों में अधिषसी अभियंता या समकक्ष रैंक में सेवा प्रदान किया हो।इसके अतिरिक्त उसके पास इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल/इलेक्ट्रोनिक्स/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री होऔर अधिषसी अभियंता (लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के मामले में सहायक अभियंता के रैंक से कम नहीं होना चाहिए)के रैंक पर पावर यूटिलिटिस का कम से कम 20 वर्षो का अनुभव होना चाहिए या उसमें सेवारत अधिकारी होना चाहिए ।

कार्यकालः

1. दिनांक 11.09.2019 जे.ई.आर.सी. अधिसूचना के विनियम 10 के प्रावधान (1) के अनुसार अध्यक्ष अपने पद पर नियुक्ति की तिथि से 03 वर्ष तक या आयु 65 वर्ष होने तक, इनमें से जो भी पहले होगा, रहेगा ।
2. रिक्तता
   यदि कोई सदस्य पद त्यागना चाहता हो तो वह लाइसेंसधारी को लिखित रूप में दो महीने की सूचना देने के बाद या इसके बदले में दो महीने का वेतन जमा करने के बाद ऐसा कर सकता है ।

भत्तेः सेवारत अधिकारियों में से सदस्यों का वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्यषर्ते वही होंगे जो वे अन्यथा स्वीकार्य प्रतिनियुक्ति भत्ता के साथ सेवा में रहते हुए पाने का हकदार थे ।

उपर्युक्त खण्ड–(7) में उल्लिखित को छोड़कर अन्य सदस्य प्रतिमाह रू. 65,000/–(पैसठ हजार रूपय मत्र)की
राशि समेकित पारिश्रमिक पाने के हकदार होगें । डयूटी पर बाहर जाने पर उन्हें केन्द्रीय सरकार में स्तर–12 में कार्यरत उप सचिव रैंक के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बराबर ही परिवहन भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त होगा । वे एक कलैंडर वर्षमें 12 दिनों का आकस्मिक अवकाष लेने के हकदार होंगे ।

परंतुकः उपर्युक्त के होते हुए भी आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न निष्पादन पैरामीटर का मूल्याकंन करने के बाद अध्यक्ष के समेकित पारिश्रमिक को प्रतिवर्ष10 %शतक बढ़ाने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है ।

Scanned by CamScanner

कार्यालयः फोरम का कार्यालय ऐसे स्थान (ां)पर स्थापित किया जाएगा जहां उपभोक्ता आसानी से पहुंच सके जिसके लिए जिला न्यायालय/जिला उपभोक्ता षिकायत निवारण फोरम या विद्युत विभाग के अधिषासी अभियंता/अधीक्षक अभियंता के कार्यालय के निकटवर्ती स्थानों को प्राथमिकता दिया जाएगा ।

प्रकियाः निम्नलिखित विवरण देते हुए आवष्यक दस्तावेजों /षंसापत्रों की साक्ष्यांकित/अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ अपने क्षेत्र के दो जिम्मेदार व्यक्तियों का हवाला देते हुए आवेदन दिनांक **02.02.2022** तक सचिव(विद्युत) अंडमान तथा निकोबार प्रषासन, सचिवालय के पास पहुंच जाना चाहिए :–

1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. लिंग
4. जन्म तिथि
5. आयु
6. शैक्षिक योगयता
7. सेवानिवृत्ति स पूर्व आवेदक किस सेवा के अंतर्गत था
8. आरंभिक नियुक्ति की तिथि तथा पद का नाम
9. सेवानिवृत्ति के समय अंतिम धारित पदनाम
10. सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान तथा अंतिम आहरित वेतन
11. सेवानिवृत्ति से 20 वर्ष धारित पदों का विवरण, तैनाती स्थान और प्रत्येक तैनाती की अवधि
12. क्या सेवाकाल के दौरान कुछ प्रतिकूल रहा 9.
13. भाषा का ज्ञान, ज्ञान का स्तर बताएं–बहुत अच्छा, केवल पढ़ सकता है, केवल लिख सकता है ।
14. उपभोक्ता मामलों में अनुभव का विवरण, यदि कोई हो
15. दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ
16. क्या किसी गैर–सरकारी संगठन का सदस्य है (गैर–सरकारी संगठन का सक्षिप्त विवरण दें)
17. पत्राचार के लिए पता
18. स्थायी आवासीय पता
19. प्रस्तुत की गई सूचना की सत्यता के संबंध में स्वःप्रमाणन

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग(उपभोक्ताओं की षिकायतों के निवारण, हेतु फोरम) विनियम, 2009 और इसका संषोधन विनियम, 2013 तथा 2019 वेबसाइट www.jercuts.govt.inपर भी उपलब्ध है ।

सहायक सचिव(विद्युत)
अंडमान तथा निकोबार प्रषासन

प्रतिलिपिः–

1. सोवटेक के इस निवेदन के साथ कि उक्त सूचना को अंडमान तथा निकोबार प्रषासन के वेबसाइट मे अपलोड करें ।
2. प्रचार अधिकारी, सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेषालय को अंडमान तथा निकोबार प्रषासन (सू.प्र. और प.के माध्यम से) इस निवेदन के साथ कि उक्त सूचना के द्वीप समाचार में प्रकाषित करें
3. महानिदेषक, वाणिज्यिक, आसूचना तथा सांख्यकीय काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकत्ता–700001 को इस निवेदन के साथ कि इस सूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र में प्रकाषित कर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें ।

Scanned by CamScanner

4. मुख्य संपादक, द्वीप समाचार, राजकीय मुद्रणालय, पोर्ट ब्लेयर को इस निवेदन के साथ कि इस सूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र में प्रकाषित कर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें ।
5. प्रबंधक हिन्दु, माउंट रोड, पोस्ट बोक्स न. 316 चेन्नई–600–004 (चेन्नइ एडीसन) को इस निवेदन के साथ कि इस सूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र में प्रकाषित कर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें ।
6. प्रबंधक, स्टेटमैन लिमिटेड, 4–चौरंगी स्क्वायर, कोलकत्ता को इस निवेदन के साथ कि इस सूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र मे प्रकाषित कर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें ।
7. प्रबंधक इंडियन एक्सप्रेस (केवल हिन्दी एडीसन), पनाला बनर्जी लेन कोलकत्ता को इस निवेदन के साथ कि इस सूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र में प्रकाषित कर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें
8. प्रबंधक टाइमस ऑफ इंडिया, बहादुर षाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002 को इस निवेदन के साथ कि इस सूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र में प्रकाषित कर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें ।
9. प्रबंधक टाइमस ऑफ इंडिया, ग्राउंड फ्लोर, सुरेन रोड, ट्रेड एवेन्यू बिलिडिंग, गुरूनानक पैट्रोल के समीप, ऑफ अंधेरी कुरला रोड, अंधेरी ईस्ट चखला मुम्बई, को इस निवेदन के साथ कि इस सूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र में प्रकाषित कर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें ।
10. प्रबंधक , दा टेलीग्राफास, 6–प्रफुल्ला सरकार स्ट्रीट, कलकत्ता–700001 को इस निवेदन के साथ कि इस सूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र में प्रकाषित कर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें ।
11. प्रबंधक, हिन्दुस्तान टाईमस, कस्तूरबा गांधी मार्ग,कनॅाट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को इस निवेदन के साथ कि इस सूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र में प्रकाषित कर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें ।
12. प्रबंधक, नवभारत टाईमस, (हिन्दी एडीसन), एक्सप्रेस बिलिडिंग, सेकेन्ड फ्लोर बहादुर षाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002 को इस निवेदन के साथ कि इस सूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र में प्रकाषित कर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें ।
13. अधीक्षक अभियंता (विद्युत), विद्युत विभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रषासन के सूचनार्थ ।

सहायक सचिव(विद्युत)
अंडमान तथा निकोबार प्रषासन

Scanned by CamScanner